

राजस्थान -सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।
क्रमांक:-ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/ए-146/2018/
दिनांक:-

आदेश

श्री अब्दुल नासिर खान, नर्सिंग ट्यूटर, राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर को सत्र 2018-19 में इग्नू के माध्यम से MAPC Psychology करने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है:-

1. राज्य सेवा में कोई व्यवधान नहीं होगा।
2. राज्य सरकार/विभाग द्वारा कोई वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।
3. उक्त कार्य हेतु संस्थान द्वारा निर्धारित Prospectus के अनुसार Practical & Viva Voice Examintion हेतु निर्धारित अवधि का नियमानुसार अवकाश निदेशालय स्तर से ही स्वीकृत कराकर प्ररथान करेंगे।
4. कोर्स उत्तीर्ण होने के पश्चात किसी प्रकार की पदोन्नति एवं वित्तीय लाभ की मांग नहीं करेगे।
5. परीक्षा दिवस का ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
6. कोर्स/परीक्षा की तैयारी हेतु कोई अवकाश देय नहीं होगा।
7. नियमित कक्षा हेतु कोई अवकाश देय नहीं होगा।
8. प्रत्येक वर्ष के लिये पृथक से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।
9. राज्य हित मे उक्त स्वीकृति को कभी भी निरस्त किया जा सकेगा।



(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज0 जयपुर

दिनांक:- 13-11-18

क्रमांक:-ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/ए-146/2018/ 1474

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र, सेठी कॉलोनी, जयपुर।
- 2- संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी भेजकर लेख है कि भविष्य में बिना अनुमति के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा/साक्षात्कार/कोर्स में सम्मलित नहीं होये।
- 3- प्रभारी सर्वर रूम को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 4- आदेश पत्रावली।



(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज0 जयपुर